नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

234. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस० राजशेखर मूर्ति): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। राज्य सरकारों ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 39400 कि०मी० लम्बी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए 135 प्रस्ताव पेश किए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ङ) 8वीं० पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों के अभाव के कारण केवल दो सड़कों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश में कुरनूल-चित्तूर सड़क (कुल 369 कि०मी०) और गाजीपुर-बलिया-छपरा-हाजीपुर-पटना सड़क (कुल 240 कि०मी०) को ही अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की सं०	लम्बाई (कि०मी०)
1.	आंध्र प्रदेश	9	4812
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	400
3.	असम	1	178
4.	बिहार	6	1390
5.	चंडीगढ़	—	—
6.	दिल्ली	—	—
7.	गोवा	3	101
8.	गुजरात	10	2510
9.	हरियाणा	5	932
10.	हिमाचल प्रदेश	2	618
11.	जम्मू और कश्मीर	1	400
12.	कर्नाटक	14	4810
13.	केरल	8	1301
14.	मध्य प्रदेश	13	6492
15.	महाराष्ट्र	11	4782
16.	मणिपुर	1	332

क्रम सं॰	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	लम्बाई (कि॰मी॰)
17.	मेघालय	1	133
18.	मिज़ोरम	3	441
19.	नागालैंड	1	220
20.	उड़ीसा	4	837
21.	पांडिचेरी	2	104
22.	पंजाब	5	980
23.	राजस्थान	5	1709
24.	सिक्किम	1	30
25.	तमिलनाडु	16	3355
26.	त्रिपुरा	1	135
27.	उत्तर प्रदेश	4	1856
28.	पश्चिम बंगाल	7	530
		135	39388

एल॰पी॰जी॰/पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का आवंटन

235. **श्री रामजी लाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल एलपीजी एजेन्सियों और पेट्रोल स्टेशनों/बिक्री केन्द्रों का कितना प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है;

(ख) क्या सरकार यह सुविधा देश में अन्य पिछड़े वर्गों को भी उपलब्ध करायेगी जोकि देश की जनसंख्या के 27 प्रतिशत हैं, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) विद्यमान नीति के मुताबिक तेल चयन बोर्डों के माध्यम से आवंटित की गई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में डीलरशिपों/-डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है। वे आरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत विद्यमान श्रेणियों के अधीन अवसरों से लाभ उठा रही हैं।

कमांडो के प्रशिक्षण में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों की अनुपस्थिति

236. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में कमांडों का प्रशिक्षण ले रहे 147 सब-इंस्पैक्टर अनुपस्थित पाये गये हैं;